रमेश सिंह एवं अन्य

बनाम

सतबीर सिंह एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 545-546/2008)

21 जनवरी, 2008

(एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुरकर, जेजे.)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988,

सेक्शन 163- ए-उपर्युक्त गुणक-दुर्घटना के समय मृतक पुत्र की आयु 22 वर्ष का तथा दावेदार पिता की आयु 55 वर्ष है। गुणक का चयन मृतक या दावेदार की आयु जो भी अधिक हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है-पिता की आयु को 55 वर्ष मानते हुए, नीचे की अदालतों ने 8 के गुणक को लागू करने में कोई अवैधता नहीं की है-धारा 163-ए के तहत राहत अतिरिक्त नहीं बल्कि वैकल्पिक है-अधिनियम की दूसरी अनुसूची का उपयोग केवल एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है।

मोटर दुर्घटना में मारे गये अपने युवा बेटे की मृत्यु के समय लगभग 55 वर्ष की आयु वाले पिता द्वारा मुआवजे में और वृद्धि के लिए दायर त्वरित अपील में, अपीलकर्ताओं के लिए यह तर्क दिया गया था कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने 8 के गुणक को

लागू करने में गलती की, और इसके बजाय, दुर्घटना के समय मृतक की आयु 22 वर्ष होने पर धारा 163-ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 16 के गुणक को लागू किया जाना चाहिए था। वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया कि उस समय मां की उम्र 52 वर्ष थी, कम से कम 11 का गुणक लागू किया जाना चाहिए था।

कोर्ट ने अपील खारिज की और अभिनिर्धारित किया-

1.1 गुणक का चयन मृतक या दावेदार की उम्र, जो भी अधिक हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है। माना कि पिता की उम्र 55 वर्ष थी। मां की उम्र का सवाल कभी नहीं उठा यह विवाद ट्रायल कोर्ट या इस अदालत के समक्ष भी नहीं उठाया गया था। पिता की आयु 55 वर्ष मानते हुए नीचे की अदालतों ने 8 का गुणक लगाने में कोई अवैधता नहीं की है क्योंकि वह अपने जीवन के 56 वें वर्ष में थे।

1.2 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163-ए के तहत राहत को अतिरिक्त नहीं, बल्कि वैकल्पिक माना गया है। अधिनियम की दूसरी अनुसूची का उपयोग न केवल पीडित की उम्र, बल्कि उसके लिए प्रासंगिक अन्य कारकों का भी उल्लेख करते हुए किया जाना है। दुर्घटना के मामलों में उत्पन्न होने वाले तथ्यों और कानून के जटिल प्रश्नों का का उत्तर हर समय गणितीय समीकरणों पर निर्भर रहकर नहीं दिया जा सकता है। अनुसूची का उपयोग केवल एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है।

गुणक का चयन सभी मामलों में केवल मृतक की उम्र पर निर्भर नहीं हो सकता। यदि दुर्घटना में एक युवा की मृत्यु हो जाती है और वह अपने पीछे वृद्ध माता-पिता को छोड जाता है जो दूसरी अनुसूची द्वारा प्रदान किए गए उच्च गुणक के साथ मेल खाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते है, तो न्यायालय को ऐसे उच्च गुणक को ऑफसेट करना होगा और उसे अल्प जीवन प्रत्याशा के साथ संतुलित करना होगा। दावेदार इस मामले में बिल्कुल यहीं हुआ है कि निचली अदालतों ने उक्त संतुलन को सही ढंग से पूरा किया। (पैरा 5) (963-सी-जी)

न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चार्ली (2005) 10 एससीसी 720, दीपल गिरीशभाई सोनी बनाम यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2004) 5 एससीसी 385, उ.प्र. राज्य सडक परिवहन निगम बनाम त्रिलोक चंद्र (1996) 4 एससीसी 362, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सैयद इब्राहिम व अन्य जेटी 2007(11) एससी 113- relied on.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 545-546/2008.

दिल्ली उच्च न्यायालय के MAC APP. Nos. 330-331 of 2006 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 31.01.2007 से।

अपीलकर्ताओं की ओर से मंजीत चावला।

उत्तरदाताओं की ओर से प्रवीण स्वरूप।

न्यायालय का निर्णय वी.एस. सिरपुरकर द्वारा सुनाया गया-

1. अनुमति स्वीकृत।

2. उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजे में 50,000/- रूप्ये की वृद्धि के फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर मृतक बानू प्रताप सिंह के माता-पिता ने ये अपीलें दायर की है। मृतक बानू प्रताप सिंह की 29.03.2004 को एक ट्रक से हुई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जिसे प्रथम प्रतिवादी सतबीर सिंह चला आ रहा था। ट्रक दिल्ली नगर निगम का था। उनकी मृत्यु के समय, भानु प्रताप सिंह की उम्र लगभग 22 वर्ष थी। पहले अपीलकर्ता, यानी मृतक के पिता द्वारा यह दावा किया गया था कि भानु प्रताप सिंह की मृत्यु के समय वह 41 वर्ष के थे। ट्रायल कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भानु प्रताप सिंह के संबंध में निर्भरता का वार्षिक नुकसान 28,992/- रूपये लिया जा सकता है। आगे यह माना गया कि अपीलकर्ता नंबर 1, मृतक के पिता की उम्र दुर्घटना के समय 55 वर्ष थी और इस प्रकार ट्रायल कोर्ट ने 8 वर्ष का गुणक लागू किया और माना कि निर्भरता का कुल नुकसान 2,31,936/- रूपये था, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 2000/- रूपये और संपत्ति के नुकसान के लिए 2500/- रूपये का मुआवजा उपरोक्त राशि में जोडा गया और कुल मुआवजा रूपये 2,36,436/- दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज के साथ दिया गया। याचिका दायर करने से लेकर

क्रियान्वयन तक। यह माना गया कि दोनों प्रतिवादी अर्थात् ड्राईवर और मालिक, यानि दिल्ली नगर निगम संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, हालांकि, मुआवजे का भुगतान करने का प्राथमिक दायित्व दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ तय किया गया था। अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई थी जिसमें तीन आधर उठाये गये थे। सबसे पहले यह तर्क दिया गया कि ट्रिब्यूनल द्वारा भविष्य की संभावनाओं को नजरअंदाज कर दिया गया, दूसरे का तर्क था कि ट्रिब्यूनल ने 8 के गुणक को अपनाना गलत था क्योंकि मृत्यु के समय मृतक के पिता की आयु केवल 41 वर्ष थी, और तीसरा तर्क यह था कि माता-पिता को बेटे के प्यार और स्नेह की हानि के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत पर अविश्वास किया कि दुर्घटना की तिथि पर पिता की आयु केवल 41 वर्ष थी या कि वह भ्रमित हो गया था जब उसने साक्ष्य के समय अपनी उम्र 55 वर्ष बताई थी। उच्च न्यायालाय ने पिता के संबंध में हाई स्कूल सर्टिफिकेट पर भी विश्वास नहीं किया और दावे को बेतुका माना। उच्च न्यायालय ने पहले और दूसरे तर्कों पर एक साथ विचार किया क्योंकि वे एक दूसरे से संबंधित थे और माना कि 50,000/- रुपये की वृद्धि उचित होगी, प्यार और स्नेह की हानि के कारण न्यूनतम वेतन में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखते हुए, बच्चा और दर्द और पीड़ा जो माता-पिता जीवन भर जीएंगे। उच्च न्यायालय ने तदनुसार आदेश पारित किया।

3. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने बहुत ही निष्पक्षता से पिता की उम्र के सवाल पर बहस नहीं की और इस निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया कि दुर्घटना के समय पिता की उम्र 55 वर्ष थी, न कि 41 वर्ष। जैसा कि अपील में उनके द्वारा दावा किया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया। हालाँकि, गुणक के आवेदन के संबंध में, विद्वान वकील ने दूसरी अनुसूची पर बहुत भरोसा किया और तर्क दिया कि यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के तहत मामला था और चूंकि मृतक की उम्र केवल 22 वर्ष थी, इसलिए गुणक 16 था, लागू किये जाने हेतु उत्तरदायी था। वैकल्पिक रूप से, वकील का कहना है कि कम से कम 11 के गुणक को अपीलकर्ता नंबर 2, मृतक की मां की उम्र 52 वर्ष मानते हुए लागू किया जाना चाहिए था।

4. हमने इन तर्कों पर उत्सुकतापूर्वक विचार किया है और हमारी राय है कि ये किसी भी योग्यता से रहित हैं। न्यू इंडिया एफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चार्ली (2005) 10 एससीसी 720, में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि गुणक का विकल्प मृतक या दावेदारों की उम्र, जो भी अधिक हो, द्वारा निर्धारित किया जाता है। माना कि पिता की उम्र 55 साल थी. मां की उम्र का सवाल कभी नहीं उठा क्योंकि ट्रायल कोर्ट या हमारे सामने भी यह विवाद नहीं उठाया गया था। हमारी राय में, आयु को 55 वर्ष मानते हुए, नीचे की अदालतों ने 8 के

गुणक को लागू करने में कोई अवैधता नहीं की है क्योंकि पिता अपने जीवन का 56 वां वर्ष चला रहे थे।

5. विद्वान वकील ने अधिनियम की दूसरी अनुसूची पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि मृतक की उम्र लगभग 16 या 17 वर्ष थी, इसलिए 16 या 17 का गुणक दिया जाना चाहिए था। यह निस्संदेह सच है कि मुकदमे की अवधि को कम करने के लिए धारा 163-ए को कानून की किताब में लाया गया था। ड्राइवर की ओर से भी लापरवाही या गलती साबित करने का बोझ और धारा 140 या 166 के तहत अन्य संबद्ध बोझ वास्तव में बोझिल और समय लेने वाले थे। इसलिए सामाजिक न्याय के एक भाग के रूप में, धारा 163-ए के माध्यम से एक प्रणाली शुरू की गई थी जिसमें इस तरह के बोझ से बचा गया था और इस तरह एक त्वरित उपचार प्रदान किया गया था। धारा 163-ए के तहत राहत को अतिरिक्त नहीं बल्कि वैकल्पिक माना गया है। दीपल गिरीशभाई सोनी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2004) 5 एससीसी 385, सहित विभिन्न घोषणाओं में प्रदान की गई अनुसूची पर विस्तृत चर्चा की गई है। दूसरी अनुसूची का उपयोग न केवल पीड़ित की उम्र बल्कि उसके लिए प्रासंगिक अन्य कारकों के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। दुर्घटना के मामलों में उत्पन्न होने वाले तथ्यों और कानून के जटिल प्रश्नों का उत्तर हर समय गणितीय समीकरणों पर निर्भर रहकर नहीं दिया जा सकता है। वास्तव में

यू.पी. राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम त्रिलोक चंद्रा (1996) 4 एससीसी 362, में, अहमदी, जे. (तब मुख्य न्यायाधीश थे) ने उक्त अनुसूची में कमियों की ओर इशारा किया है और माना है कि अनुसूची केवल एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किया जाए। यह भी माना गया कि गुणक का चयन सभी मामलों में केवल मृतक की उम्र पर निर्भर नहीं हो सकता। यदि दुर्घटना में एक युवा व्यक्ति की मौत हो जाती है और वह अपने पीछे वृद्ध माता-पिता को छोड़ जाता है, जो दूसरी एफ अनुसूची द्वारा प्रदान किए गए उच्च गुणक के साथ मेल खाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, तो न्यायालय को ऐसे उच्च गुणक को संतुलित करना होगा और उसकी अल्प जीवन प्रत्याशा के साथ उसे संतुलित करना होगा। दावेदार. इस मामले में बिल्कुल यही हुआ है. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सैयद इब्राहिम और अन्य के हालिया फैसले में नाबालिग की मृत्यु के मामले में माता-पिता की उम्र को एक प्रासंगिक कारक के रूप में रखा गया था। (जेटी 2007 (11) एससी 113)। हमारी सुविचारित राय में, नीचे के न्यायालयों ने उक्त संतुलन को सही ढंग से पूरा किया।

6. इसके साथ ही हम इन अपीलों का निपटारा करते हैं। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा। अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुरेश कुमार ॥ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।